प्रेस नोट　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　दिनांक 11.03.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा गौकशी की घटना कारित करने वाले 05 गौकश गिरफ्तार (02 अभियुक्त मुठभेड के दौरान घायल), कब्जे से 02 तमंचे, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस व गौकशी का सामान व घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार बरामद ।

आज दिनांक 11.03.2026 को समय करीब 00.30 बजे थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ABES कट पर चैकिंग की जा रही थी । तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि डूण्डाहेडा अण्डरपास पर रंग वाले दिन से पहले की रात को जो गौकशी हुयी थी वहीं गौकश अपनी कार होण्डा सिटी,जिसका रंग सिल्वर हैं, से आज फिर गाय/गौवंश को ढ़ूढ़ कर काटने फिराक में दिल्ली-मेरठ हाइवे के डूण्डाहेडा अण्डरपास व चिपियाना रोड पर घूम रहे हैं। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिकि टीम द्वारा चेक पाइंट्स पर चेकिंग शुरु की गई । कुछ समय उपरान्त गाडी होण्डा सिटी कार रंग सिल्वर ए0बी0ई0एस कालेज की तरफ से आते हुयी दिखायी थी जिसे रोकने का प्रयास किया गया परन्तु उक्त कार यू0टर्न लेकर वापस सर्विस रोड से चिपयाना अण्डरपास की तरफ पहुंची वहां पर चैकिंग पाइन्ट पर लगे पुलिस बल को चैकिंग करते हुये देखकर अन्डरपास से चिपियाना अन्डरपास की ओर भागने लगे जहां पर पुलिस बल चैकिंग कर रही थी पुलिस बल से अपने आप को घिरता हुआ देखकर चिपियाना अन्डरपास के सामने गाडी को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लिया तथा कच्चे रास्ते पर उतरकर भागने की कोशिश की गयी, पुलिस टीम द्वारा पीछा कर घिरता हुआ देखकर हड़बडाहट में कच्चा रास्ता होने की वजह से बदमाशो की कार का एक टायर गड्ढे में गिर गया। बदमाशो द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरा देखकर नीचे उतरकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिये, जिसमे पुलिस टीम द्वारा अपनी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी तथा दो अभियुक्त (1) मारूफ पुत्र राहत निवासी नूरियो सराय अंगूरी वाली मस्जिद कस्बा व थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र करीब 24 वर्ष (2) अयान उर्फ मूसा पुत्र इस्माईल उर्फ इसरायल निवासी मौहल्ला हिलाली सराय सम्भल थाना छोटी जारत नवाब इकबाल का स्कूल थाना राय सत्ती जिला सम्भल उम्र करीब 25 वर्ष के पैरों में गोली लगी तथा उनके तीन अन्य साथी (1) जोहिन पुत्र सरीफ निवासी नूरियो सराय अंगूरी वाली मस्जिद कस्बा व थाना कोतवाली जिला सम्भलउम्र करीब 21 वर्ष (2) आलम पुत्र सरीफ निवासी नूरियो सराय अंगूरी वाली मस्जिद कस्बा व थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र करीब 32 वर्ष (3) समीर पुत्र राहत निवासी नूरियो सराय अंगूरी वाली मस्जिद कस्बा व थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र करीब 19 वर्ष को भी पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड लिया गया । पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्तगण के कब्जे से 02 तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुए तथा अभियुक्तगण के कब्जे से गौकशी की घटना से सम्बन्धित 01 गोवंश (बछिया) व गाय काटने के उपकरण 03 बड़े गण्डासे व 06 छोटे-बड़े छुरे/छूरी तेज धारदार बरामद हुये और कार में से ही एक बडा लकडी का गुटका व 02 इन्जेक्सन व 04 सिरेन्ज व तीन प्लास्टिक के बोरे दो काली पन्नी के बड़े गठ्ठर एक जामनी/सफेद रंग का गमछा 02 रस्सा व घटना में प्रयुक्त सिल्वर रंग की होण्डा सिटी कार बरामद हुई । घायल अभियुक्तगण को तत्काल उपचार हेतु एम0एम0जी0 अस्पताल में भर्ती कराया गया एवं अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर गौकशी से सम्बन्धित माल बरामदगी व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व अवैध अस्लाह से सम्बन्धित धारा 5A/8/3/5/8 गौवध अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 109(1), 3(5) BNS के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया गया कि हम हम रात्रि में इसी होण्डा सिटी कार में दिल्ली-मेरठ हाइवे के किनारे खाली मैदानो में जहां पर गोवंश घूमते रहते हैं तलाश करते हैं तथा बड़े गोवंशों को पकडकर उन्हे नशीला इन्जेक्सन लगा कर बेहोश कर देते हैं और इसी कार में डालकर जगह का मौका देख कर काट कर पन्नी तथा बोरों में भर कर मास को दिल्ली में जगह जगह जा कर बेच देते है आज भी हम इस बछडे तथा अन्य गोवंशों को कार में डालकर काटने के लिये ले जाने के लिये फिराक में थे। कडाई से बदमाशो के द्वारा की गयी घटनाओ के बारे में पूछने पर बदमाशो ने एक स्वर में बताया कि हमने रंग वाले दिन

से पहले की रात को डूण्डाहेडा अण्डरपास के सामने मैदान में दीवार की आड में 01 गाय तथा 01 बछडे को काट कर अवशेष वहीं छोडकर उनका मांस दिल्ली में जा कर बेचा था व तीन दिन पहले सहजबान नगर हिण्डन नदी के किनारे तथा इसी प्रकार 10 या 11 जनवरी 2026 के आस पास सुन्दरदीप कालेज के पीछे नहर की पटरी पर गाय काट कर अवशेषों को नहर में फेक कर मांस बेच दिया था और हमने अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार गाय काटी है समय व तारीख हमें याद नही है तथा आज फिर घटना करने की फिराक में थे।

अभियुक्तो का नाम व पता

(1) मारूफ पुत्र राहत निवासी नूरियो सराय अंगूरी वाली मस्जिद कस्बा व थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र करीब 24 वर्ष (घायल)
(2) अयान उर्फ मूसा पुत्र इस्माईल उर्फ इसरायल निवासी मौहल्ला हिलाली सराय सम्भल थाना छोटी जारत नवाब इकबाल का स्कूल थाना राय सत्ती जिला सम्भल उम्र करीब 25 वर्ष (घायल)
(3) जोहिन पुत्र सरीफ निवासी नूरियो सराय अंगूरी वाली मस्जिद कस्बा व थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र करीब 21 वर्ष
(4) आलम पुत्र सरीफ निवासी नूरियो सराय अंगूरी वाली मस्जिद कस्बा व थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र करीब 32 वर्ष।
(5) समीर पुत्र राहत निवासी नूरियो सराय अंगूरी वाली मस्जिद कस्बा व थाना कोतवाली जिला सम्भल उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

02 तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा गौवंश (बछिया), गाय काटने के उपकरण 03 बड़े गण्डासे व 06 छोटे-बड़े छुरे/छूरी तेज धारदार बरामद हुये और कार में से ही एक बडा लकडी का गुटका व 02 इन्जेक्सन व 04 सिरेन्ज व तीन प्लास्टिक के बोरे दो काली पन्नी के बड़े गठ्ठर एक जामनी/सफेद रंग का गमछा 02 रस्सा व घटना मे प्रयुक्त सिल्वर रंग होण्डा सिटी।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गौकशी व पुलिस मुठभेड़ के प्रयास के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं व अभियुक्त मारूफ के विरूद्ध गौकशी, गैंगस्टर एक्ट, पुलिस मुटभेड के कुल 22 अभियोग जनपद सम्भल, मुरादाबाद , रामपुर व अभि0 अयान उर्फ मूसा पर गैंगस्टर एक्ट , चोरी के 04 अभियोग पंजीकृत है तथा अभि0 जोहिन व अभि0 आलम व अभि0 समीर के विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- पीड़िता द्वारा थाना भरत नगर, नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली पर लिखित तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मोहित पुत्र धनपाल निवासी सरस्वती विहार, लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष द्वारा वादिया के साथ रोजमैन होटल, सेक्टर-01 वैशाली, थाना कौशाम्बी, कमिश्नरेट गाजियाबाद में दुष्कर्म किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । उक्त संबंध में थाना भरत नगर, नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली पर पंजीकृत जीरो एफआईआर को उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार थाना कौशाम्बी पर स्थानांतरित किया गया, जिस पर थाना कौशाम्बी पर धारा 376, 506 IPC के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 11.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मोहित उपरोक्त को यूपी गेट के पास स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मोहित से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वह पिछले लगभग 10-11 वर्षों से पीड़िता के संपर्क में था तथा इस दौरान अभियुक्त द्वारा जून 2014 से कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये गये थे। अभियुक्त ने यह भी बताया कि दिनांक 29.09.2023 को वह पीड़िता के साथ सेक्टर-01 वैशाली स्थित रोजमैन होटल में भी गया था, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे। अभियुक्त को अपने विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होने तथा पीड़िता के मेडिकल परीक्षण व अन्य कार्यवाही के लिए थाना आने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके पश्चात वह पीड़िता से संपर्क करने की फिराक में यहां आया था। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मोहित पुत्र धनपाल निवासी सरस्वती विहार, लोनी, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास:- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.11.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी मौहम्मद अली की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण 1.मोमीन मलिक पुत्र नूर मौहम्मद 2. युसूफ मलिक पुत्र नामालूम 3. भूपेन्द्र सिंह राणा 4. मोमीन की पत्नी व सास-ससुर निवासीगण खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार करके वादी को प्लाट देने के नाम पर वादी से रूपये हड़प लेने, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-61(2)318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 10.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोमीन मलिक पुत्र नूर मौहम्मद निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र कर खुशहाल पार्क कालोनी में एक आवासीय प्लाट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर मौहम्मद अली को बेच दिया था तथा जब मौहम्मद अली प्लाट या रूपये माँगता था जो हम उसे धमकी दे देते थे फिर मौहम्मद अली ने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया था तो मैं पुलिस से बचता फिर रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मोमीन मलिक पुत्र नूर मौहम्मद निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 20.12.2025 को वादी जफर निवासी मुगल गार्डन मसूरी की तहरीर प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण 1-अतीक पुत्र हसमुद्दीन 2-ताहिर पुत्र अब्दुल रफीक निवासीगण एफ-4 शहीदनगर, गाजियाबाद हाल पता उमर मस्जिद के पास गोल चक्कर गरिमा गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा अपराधिक षडयंत्र कर वादी के नाम से फर्जी कूटरचित कागजात तैयार कर धोखाधड़ी करके कुछ व्यक्तियों को वादी की जमीन को अवैध रूप से बेचकर कब्जा करा देना एवं विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर पुरानी घटना होने के कारण भादवि की धारा-420, 467, 468, 471, 120बी, 323, 504, 506 भादवि में बनाम अतीक आदि 02 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 10.03.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अतीक पुत्र हसमुद्दीन निवासी गरिमा गार्डन पसोन्डा लक्ष्मण गार्डन थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने लालच में आकर अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके जमीन को बेचकर कब्जा करा दिया था।जब ये लोग जमीन के सम्बन्ध में बातचीत करने आते थे तो हम लोग उनको गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अतीक पुत्र हसमुद्दीन निवासी गरिमा गार्डन पसोन्डा लक्ष्मण गार्डन थाना टीला मोड गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष के कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री हरीश कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मुरादनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 376(3)/452 भादवि व धारा 4(2) पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त शहनवाज पुत्र ताहिर निवासी मलिक नगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 11.03.2026 को धारा- 4(2) पॉक्सो अधि0 में 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 452 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 21.10.2020 को थाना मुरादनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री हरीश कुमार विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**म0मु0आ0 प्रवेशपाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 अरुण कुमार** पैरोकार थाना मुरादनगर

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा नकबजनी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू व नकबजनी के 1770 रुपये बरामद।

दिनांक 22.11.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 21/11/2025 की रात में मेरे शोरूम से किसी अज्ञात व्यक्ति ने शोरूम का ताला तोडकर आफिस के लोकर को तोडकर लोकर में रखे रूपये व 02 चाँदी के सिक्के चोरी करके ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 331(4)/305(ए) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज,

मुखबिर आदि की सहायता से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त शाहरुख पुत्र महताब मूल निवासी ग्राम खिरवा जलालपुर, थाना सरधना, जिला मेरठ हाल पता किरायेदार सितारा मस्जिद के पास, मुस्तफाबाद, कस्बा लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.03.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले शाहरुख पुत्र महताब मूल निवासी ग्राम खिरवा जलालपुर, थाना सरधना, जिला मेरठ हाल पता किरायेदार सितारा मस्जिद के पास, मुस्तफाबाद, कस्बा लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू व नकबजनी के 1770 रुपये बरामद। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317 (2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी व चाकू बरामदगी के आधार पर अन्तर्गत धारा-4/25 आर्म्स एक्ट में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने दिनांक 21/11/2025 की रात को एक शोरूम का ताला तोडकर 12800/- रूपये व दो चाँदी के सिक्के शोरूम आफिस के लोकर को तोडकर चोरी किये थे, जो मैंने खर्च कर दिये उनमें से केवल 1770 रूपये बचे थे। बरामद चाकू के बारे में पूछा तो बताया कि यह चाकू में लोगों को डराने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहरुख पुत्र महताब मूल निवासी ग्राम खिरवा जलालपुर, थाना सरधना, जिला मेरठ हाल पता किरायेदार सितारा मस्जिद के पास, मुस्तफाबाद, कस्बा लोनी, गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध चाकू व नकबजनी के 1770 रुपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग व 01 अभियोग आर्म्स एक्ट तथा जनपद मेरठ में 05 नकबजनी के अभियोग व 01 अभियोग आबकारी अधिनियम में पंजीकृत है। अभियुक्त के विरूद्ध कुल 08 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।